

Present: M.P Yadav, Addl. Sess. Judge-IX, Katihar
B.P. 1358/2025, Kursela P.S. case No- 64/2025
न्यायालय: अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

जनपद— कटिहार (बिहार)

A.B.P.No.-407/2026

Rautara P.S. Case No.- 22/2026

1. मनोज चौहान पिता दिनेश चौहान, उ०त० 30 वर्ष,
साकिन— जलालगढ़, थाना— जलालगढ़, जिला— पर्णिया।.....आवेदक।

बनाम

बिहार सरकार।अभियोजन।

अभियोजन की ओर विद्वान अधिवक्ता अ० ल० अ० श्री..... सरदार यशवंत सिंह।

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता: श्रीसंजय कुमार।

उपस्थिति:— महेन्द्र प्रसाद यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

दिनांक: 25.06.2026

आदेश

- प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 18.03.2026 को आवेदक की ओर से नवीन वकालतनामा के साथ विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार द्वारा दाखिल की गयी है। जमानत आवेदन की प्रतिलिपि विद्वान अपर लोक अभियोजक को उपलब्ध करायी गयी है।
- अभिलेख अवलोकन से विदित है कि यह अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक की ओर से दिनांक 18.03.2026 को दाखिल किया गया है, जिसमें 21.04.2026 से आवेदक की तरफ से कोई पैरवी नहीं किया जा रहा है। मामले में आवेदक को पैरवी करने के लिए न्यायालय द्वारा दिनांक 08.06.2026 को अन्तिम अवसर दिया गया, परन्तु आज भी आवेदक की तरफ से मामले में पैरवी के लिए कोई उपस्थित नहीं हुआ है, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक का इस मामले में कोई अभिरुचि नहीं रह गयी है और वह मामले को आगे प्रचालित नहीं करना चाहते हैं।
- उपरोक्त संपूर्ण विवेचन के आधार पर मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में आवेदक द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन संख्या— 407 / 2026 दिनांक 18.03.2026 को अप्रचालन की दशा में गुण—दोष पर विचार किये बगैर खारिज किया जाता है। कार्यालय आदेश की प्रति संबंधित विद्वान विचारण न्यायालय को भेजे तथा अभिलेख नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

(महेन्द्र प्रसाद यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्
कटिहार।

Date of order	25-06-2026
Date of Reserving order	25-06-2026
Uploading date	25-06-2026
Uploaded by	